(47)

3४9 / 24.8.15

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, सर्किट कोर्ट, रीवा (म.प्र.)

श्री विष्णुधर भट्ट एड. द्वारा पेश। 24.8.15

R 5001-II/15

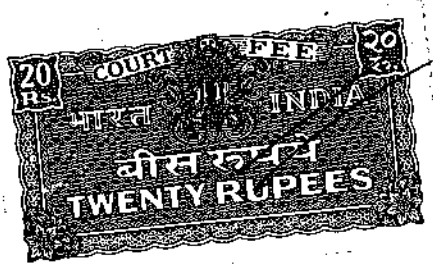

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

राजधर विश्वकर्मा तनय श्री शुभकरण विश्वकर्मा, निवासी वार्ड नं. 09, नगर परिषद रामपुर बाघेलान, जिला सतना, (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

केदार प्रसाद कचेर तनय स्व. रामनाथ कचेर, निवासी वार्ड नं. 15, ग्राम/तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना, (म.प्र.)

.... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, वृत्त हुजूर, जिला रीवा, (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्र. 399/अ–74/2012–13, में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.06.2015

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनई है :–

1. यह कि निगराकार द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय, वृत्त/तहसील हुजूर के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि गैर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5001–दो/2015 जिला रीवा

राजधर विश्वकर्मा विरूद्ध केदार प्रसाद कचेर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता उपस्थित। उनके प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वही तथ्य प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमों में अंकित है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा नामांतरण पंजी न मिलने की स्थिति में पटवारी को पंजी के संबंध में बुलाया जाकर पूछने एवं अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य लिए जाने का निदेवन किया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी को बुलाए जाने संबंधी अनुरोध को अपने अंतरिम आदेश दिनांक 30–6–15 से अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को अनावेदक के साक्ष्य हेतु नियत किये जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विचारोपरांत प्रकरण में संलग्न प्रश्नाधीन आदेश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि जब पंजी रिकार्डरूम में जमा नहीं है तब इस विषयक जानकारी संबंधित पटवारी से लिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा विचाराधीन अंतरिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः विचारोपरांत प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करते हुये तहसीलदार संबंधित पटवारी को बुलाये जाने का निवेदन स्वीकृत करते हुये निगरानी का इसी स्तर पर निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	